

24.5.18

पत्रावली CPC की धारा 89 के तहत लोक अदालत बेंच का स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली दिनांक 7.6.18 के स्थान पर दिनांक 24.5.18 का राजस्व अदालत बेंच स्थान जानपाविया को सशर्त प्रस्तुत हों, तदनुसार सभी पक्षकारण सुनिश्चित हों।

सहायक कलेक्टर (SO), चौहदन

जायस

24.5.18

पत्रावली आज शत्रुघ्न लोक अदालत न्याय दफाते द्वारा 2018 के कैम्प जानपाविया में दिखा हुई। वार्ड स्वयं ने कैम्प में उपस्थित होकर ~~स्वयं~~ राजीनामा देना का निवेदन किया कि यदि सरकार द्वारा श्रमि आंदोलन की शुरुआत की जाती है तो इसे अंदोलन में शामिल कर लिया जावे। वार्ड का राजीनामा स्वीकार कर इस वार्ड में आगामी कार्यवाही शुरू कर लया जाये। पत्रावली फंसल शुरुआत होकर दायर होकर

copy

सहायक कलेक्टर चौहदन